न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 39/15 **निर्णय दिनांकः–27-08-2018**

1. रहीमबक्स पुत्र हूलाहीबक्स जाति मुसलमान निवासी बल्लर, तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर जरिये मु.आम रज्जाक खॉ पुत्र हुसैन खॉ जाति मुसलमान निवासी बल्लर तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. अर्जुनराम पुत्र साजनराम जाति नाई निवासी कुंपली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. उप पंजीयक, खाजुवाला।
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज.।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला
दिनांक 20–02–2015 व 12–05–2015

उपस्थितः

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजू कोहरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2015 व संशोधिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12–05–2015 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि वन विभाग की तारबन्दी में आने के कारण उक्त भूमि की एवज में चक 7 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 152/23 के किला नम्बर 1 ता 14, 16 ता 19 की 18 बीघा व मुरब्बा नम्बर 152/22 के किला नम्बर 23 ता 25 की 3 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि विनिमय में दिनांक 30—12—1987 को आवंटित की गई तथा उक्त भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी संवत् 2044 से 2047 में किया हुआ है। वादगत् भूमि की तमाम किश्तें खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है तथा पानी की पर्ची भी अपीलांट के नाम से जारीशुदा है। अपीलांट द्वारा उक्त सिंचाई की सुविधा की रकम भी समय समय पर जमा करवाई गई है तथा विगत् 30 वर्षो से अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि जिन काश्तकारों को विनिमय में पुख्ता आवंटन की गई थी उनको राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 10—07—2000 के माध्यम से दो हजार रूपये प्रति बीघा कमाण्ड व एक हजार रूपये प्रति बीघा अनकमाण्ड भूमि पर शास्ति कायम की जाकर नियमित किया जावे तथा पात्रता से अधिक भूमि आवंटित है तो अधिशेष भूमि का बाजार मूल्य वसूल किया जावे। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट द्वारा उक्त भूमि की शास्ति दिनांक 13—09—2001 को राशि रूपये 24,000/— जमा करवा दी गई जिसका नियमन भी कर दिया गया। परन्तु मुरब्बा नम्बर 152/22 की 23 ता 25 की 3 बीघा भूमि विशेष आवंटन में नोटिफाईड कर दी गई व बाद में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 को आवंटित कर दी गई। जबकि उक्त भूमि अपीलांट को विनिमय में आवंटितशुदा भूमि थी तथा उक्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि के आवंटन की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समंक्ष एक वाद प्रस्तुत किया गया उक्त वाद दिनांक 23—12—2011 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को वादगत् भूमि का बेचान करने का कथन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ऐसा नहीं किये जाने पर अपीलांट द्वारा पुनः एक वाद दिनांक 18—11—2014 को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त वाद को इस आधार पर खारिज फरमा दिया गया कि उक्त उनवान व वादगत् भूमि के बाबत् पूर्व में वाद प्रस्तुत होकर दिनांक 23—12—2011 को निर्णित हो चुका है ऐसी स्थिति में समान पक्षकार द्वारा समान भूमि के लिए पुनः नया वाद नहीं लाया जा सकता।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का पूर्ववर्ती वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था ना कि उक्त वाद गुणावगुण पर निर्णित किया गया था। ऐसी स्थिति में पूर्व न्याय का नियम उन वादों पर लागू होता है जहॉ प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने पर नियमानुसार तनकीयात कायम करते हुए वादी/प्रतिवादी के बयान दर्ज करते हुए व पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात् निर्णय पारित किया गया हो। चूंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती वाद का नियम प्रकरण में लागू नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है जिस पर आज दिनांक तक अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। लिहाजा उक्त भूमि किसी भी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा

आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् पूर्ववर्ती वाद दिनांक 23—12—2011 को खारिज किया जा चुका था। अपीलांट द्वारा उक्त वादगत् भूमि के बाबत् पुनः नया वादपत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जबकि कानून की यह सुस्थापित विधि है कि समान विषय वस्तु व समान भूमि के संबंध में पूर्व में दायर वाद जिसका अंतिम निस्तारण हो चुका हो तो उसी पक्षकार द्वारा उसी भूमि विषयवस्तु पर पुनः नया वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इसी तथ्य पर अपीलांट/वादी का वाद अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। चूंकि न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि एक ही विषय वस्तु व समान पक्षकार द्वारा बार—बार वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि चक 7 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 152/22 के किला नम्बर 23 ता 25 में 3 बीघा भूमि बाबत् आवंटन व कब्जे काश्त के आधार पर दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(2) अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा वादी का दावा इस तथ्य के आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् पूर्व में वाद प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उक्त वाद दिनांक 23—12—2011 को निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में समान पक्षकार द्वारा समान भूमि व समान विषय वस्तु पर अनुतोष/विचारण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वाद धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों की अवहेलना में पेश होने से दावा खारिज किया जाता है।

(3) चूंकि प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि चक 7 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 152/22 के किला नम्बर 23 ता 25 की 3 बीघा भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त वादपत्र अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—12—2011 को वादी/वादी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करते हुए व वादगत् भूमि का दस्तावेजी रिकार्ड के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रिकार्डेड खातेदार होने के आधार पर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया गया है।

(4) जहॉ तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का पश्चात्वर्ती वाद इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् पूर्व में ही वाद प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उक्त वादपत्र दिनांक 23—12—2011 को खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत समान विषय वस्तु व समान पक्षकार द्वारा पुनः वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

इस संबंध में कानून की यह सुस्थापित विधि है कि समान पक्षकार द्वारा समान विषय वस्तु व समान भूमि के बाबत् पुनः नया वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुतोष प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है, ऐसा कृत्य कानून की दृष्टि में शून्य व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अतः अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा समान भूमि व समान विषय वस्तु को लेकर प्रस्तुत पश्चात्वर्ती वाद खारिज करने में किसी प्रकार की त्रूटि कारित नहीं की गई है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20—02—2015 व 12—05—2015 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27-08-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर